



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 26.04.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 69/2026 धारा 137(2)/87/75(2)/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 69/2026 धारा 137(2)/87/75(2)/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दीपांशु पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना रमाला ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला ।
- 3-हो0गा0 557 रूपेन्द्र थाना रमाला ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 26.04.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .312 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .312 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

विनय पुत्र जुगमेन्द्र निवासी ग्राम किशनपुर बराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .312 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .312 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आशीष कुमार थाना बड़ौत ।
- 2-है०का० 362 अमरजीत सिंह थाना बड़ौत ।
- 3-है०का० 787 गौरीशंकर थाना बड़ौत ।





प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 26.04.2026

थाना खेकडा पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 126/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक पुत्र संतराम निवासी करुबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू बरामद ।

गिरफ्तारी टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा ।
- 4-है0का0 189 निशान्त शर्मा थाना खेकडा ।
- 5-का0 893 राहल शर्मा थाना खेकडा ।